

**न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.कं.-301022 / 2004  
 संस्थित दिनांक-29.12.1995

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना परसवाड़ा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

लालचंद गजावे पिता चिंताराम गजावे, उम्र-51 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम बघोली, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

**आरोपी**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-22/04/2017 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420, 409, 467 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-18.10.1994 के पूर्व ग्राम डोरा तथा मोहगांव में म.प्र. शासन की संपत्ति के रुपये जो आपको परिदत्त करने के लिए न्यस्त थे, बेईमानीपूर्वक हेराफेरी कर प्रवंचित किया, उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सेल्समेन आ.जा. सेवा सहकारी समिति के कार्यालय के लोकसेवक होते हुए अपने कारोबार के उपक्रम में चावल, मिट्टी तेल, शक्कर व अन्य सामग्री आपको न्यस्त रहते हुए उक्त संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग किया, उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर बिक्री रजिस्टर जो मूल्यवान प्रतिभूति होना तात्पर्यित था कि कूटरचना शासकीय संपत्ति को गबन करने के आशय से की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मोतीराम घोरमारे ने दिनांक-18.02.1995 को पुलिस थाना परसवाड़ा आकर यह लिखित शिकायत प्रस्तुत की, कि वह आ.जा.सेवा सह. समिति बघोली में लेम्पस प्रबंधक के पद पर वर्ष 1989 से कार्यरत है। उसके अधिनस्थ लालचंद गजावे पिता चिंताराम, निवासी ग्राम बघोली द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान डोरा एवं मोहगांव में खाद्यान्न सामग्री शक्कर, मिट्टी तेल, रासायनिक खाद की बिक्री में हेराफेरी कर राशि का गबन किया गया है। अभियुक्त लालचंद गजावे लगभग 6 वर्षों से आ.जा.से.सह.समिति बघोली में सेल्समेन के पद पर कार्यरत थे और उसके प्रभार में शाखा डोरा एवं मोहगांव थी, जिसके अंतर्गत उसे कार्डधारियों को खाद्यान्न सामग्री समिति के सदस्यों को परमिटस एवं नगद रासायनिक खाद वितरण का कार्य सौंपा गया था। अभियुक्त द्वारा लीड समिति मोहगांव से खाद्यान्न सामग्री शक्कर, मिट्टी तेल डीलर से तथा म.प्र. विपणन राज्य सहकारी संघ से रासायनिक

खाद अपने प्रभार में प्राप्त कर वितरण का कार्य संचालन किया जाता था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान डोरा एवं मोहगांव दुर्गम स्थान होने के कारण चार माह का खाद्यान्न एवं खाद स्टॉक रखा गया था और अभियुक्त द्वारा बिक्री की राशि साप्ताहिक मुख्यालय बघोली में जमा की जाती थी। घटना के वर्ष अतिवृष्टि होने के कारण एवं वार्षिक लेखा कार्य तथा ठेके के कार्यों के कारण फरियादी द्वारा एक माह तक दुकानों को भेंट नहीं दी जा सकी। उसके द्वारा दिनांक-18.10.1994 को शाखा डोरा एवं उचित मूल्य दुकान मोहगांव को भेंट देकर स्टॉक का सत्यापन किया गया, जिसमें उसने पाया कि विक्रेता अभियुक्त लालचंद द्वारा खाद्यान्न शक्कर एवं मिट्टी तेल तथा रासायनिक खाद्यान्न की बिक्री में हेराफेरी कर शाखा डोरा में 31,142.45/-रूपये एवं शाखा मोहगांव में 11,773.10/-रूपये कुल राशि 42,915.55/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया था। उपरोक्त उचित मूल्य की दुकानों के बिक्री रजिस्टर व अन्य दस्तावेजों को जप्त किया गया था। उपरोक्त संबंध में प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-11/1995, अंतर्गत धारा-409, 420, 467 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध कर मामलों की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान दस्तावेजों को जप्त कर अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आरोपी को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420, 409, 467 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420, 409, 467 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए गये अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-18.10.1994 के पूर्व ग्राम डोरा तथा मोहगांव में म.प्र. शासन की संपत्ति के रूपये जो आपको परिदत्त करने के लिए न्यस्त थे, बेईमानीपूर्वक हेराफेरी कर प्रवर्चित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सेल्समेन आ.जा. सेवा सहकारी समिति के कार्यालय के लोकसेवक होते हुए अपने कारोबार के उपक्रम में चावल, मिट्टी तेल, शक्कर व अन्य सामग्री आपको न्यस्त रहते हुए उक्त संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग किया ?

3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर बिक्री रजिस्टर जो मूल्यवान प्रतिभूति होना तात्पर्यित था कि कूटरचना शासकीय संपत्ति को गबन करने के आशय से की ?

**विचारणीय बिन्दु क मांक-1 व 2 का निष्कर्ष:-**

5- साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी प्रेमलाल (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किये हैं कि वह लेम्पस शाखा प्रबंधक घोरमारे को जानता है। उसके समक्ष मोतीराम घोरमारे से एक रिकॉर्ड रजिस्टर जप्त किया गया था, जिसकी लिखापढ़ी होने पर उसने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किये थे। उक्त रजिस्टर लेम्पस से संबंधित था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जप्ती दिनांक को मोतीराम घोरमारे उसके गांव के पास भण्डेरी सोसाईटी में पदस्थ था, जो परसवाड़ा जा रहा था, जिसके साथ साक्षी परसवाड़ा थाना चला गया। मोतीराम घोरमारे में थाने में कहां से रजिस्टर लाकर पेश किया था, उसे जानकारी नहीं है।

7- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी गुलजारसिंह (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह अभियुक्त को जानता है। साक्षी सेवा सहकारी समिति ग्राम बघोली का सदस्य था। उक्त सोसाईटी में करीब 8 दुकानें थी और अभियुक्त बघोली की दुकान में सेल्समेन था। साक्षी को मैनेजर घोरमारे ने बताया था कि दुकान में गबन हुआ है, कितने का गबन हुआ है, वह नहीं बता सकता, गबन अभियुक्त लालचंद ने किया है। उसके पश्चात समिति ने अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रस्ताव पारित किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि बघोली सोसाईटी के अंतर्गत 9 दुकान हैं, किस दुकान में किस सेल्समेन ने कितना गबन किया, यह नहीं बताया गया था। लालचंद बघोली दुकान में पदस्थ था। उसने दुकान पर जाकर गबन के संबंध में जांच नहीं किया।

8- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी लीलाबाई (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह अभियुक्त को जानती है, जो समिति में सेल्समेन था। अभियुक्त ने क्या किया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी को मैनेजर घोरमारे ने बताया था कि अभियुक्त ने सोसाईटी के पैसे में हेर-फेर किया है, कितने रुपये का गबन किया है, उसे जानकारी नहीं है। साक्षी उस समय समिति में सदस्य थी। अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मोतीराम घोरमारे के खिलाफ भी गबन का केस चला था। वह किसी के साथ दुकान के सत्यापन के समय नहीं गई थी और न ही उसके सामने सत्यापन हुआ था।

9— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी चैनलाल (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। साक्षी वर्ष 1995 में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बघोली का संचालक सदस्य था। घटना के समय बघोली समिति द्वारा उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जाती थी, जिनकी व्यवस्था समिति के प्रबंधक द्वारा की जाती थी और दुकानों पर विक्रेता नियुक्त कर कार्य करवाया जाता था। समिति द्वारा डोरा एवं मोहगांव की उचित मूल्य की दुकानों का संचालन अभियुक्त विक्रेता लालचंद द्वारा किया जाता था। घटना के समय समिति के प्रबंधक द्वारा डोरा एवं मोहगांव की दुकानों की जांच करने पर स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार सामग्री न होना तथा समिति के विक्रेता द्वारा विक्रय कार्य में हेराफेरी करना पाया गया था, जिसकी जानकारी समिति को प्राप्त होने पर समिति में प्रस्ताव पारित कर आरोपी को विक्रेता के पद से हटा दिया गया था और उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी के कार्य क्षेत्र की दुकानों के स्टॉक का सत्यापन करने वह नहीं गया था और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि बघोली समिति के प्रबंधक द्वारा किस आधार पर सत्यापन किया गया था और कैसे किया था।

10— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी मेधराज (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। उसे अभियुक्त द्वारा मोहगांव सोसाईटी की राशन दुकान में गबन किये जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, तब उसने बताया था कि अभियुक्त लालचंद दुकान में सुबह 8:00 बजे आता था और शाम 5:00 बजे सामान बेचकर चला जाता था। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर साक्षी ने बताया था कि उसने अभियुक्त को कभी भी सोसाईटी का सामान कार्य के समय के अतिरिक्त बाहर ले जाते हुए नहीं देखा। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रबंधक घोरमारे सोसाईटी में जांच करने के लिए आता-जाता रहता था।

11— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी गोपाल (अ.सा.6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह अभियुक्त को जानता है। साक्षी को अभियुक्त द्वारा सोसाईटी में गबन किये जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसे मैनेजर साहब ने गबन के बारे में बताया था। साक्षी उस समय बघोली की सोसाईटी में संचालक था। उस समय आरोपी लालचंद बासी में काम करता था। मैनेजर ने साक्षी को बताया कि आरोपी ने बासी लेम्पस में गबन किया है, जिसकी कार्यवाही मैनेजर ने की थी। मैनेजर ने क्या कार्यवाही की थी, इसकी जानकारी साक्षी को नहीं है। आरोपी लालचंद के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। आरोपी ने गबन किया था या नहीं इसकी उसे जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि सेल्समेन प्रतिदिन बिक्री के बाद मैनेजर के पास पैसे



जमा करते थे। मैनेजर ने समिति या उसके पास सेल्समेन द्वारा पैसा जमा न करने की कोई शिकायत नहीं की।

12— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी हीरामन (अ.सा.7) का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। वह मोतीराम को भी जानता है। साक्षी को घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी घटना के समय वह आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बघोली में संचालक था और जयसिंह, चैनलाल, जोगलाल व अन्य सदस्य थे। उस समय कार्यालय सहित 9 दुकानें थी, जिनका प्रबंधक मोतीराम घोरमारे था। साक्षी ने पुलिस को बयान नहीं दिए थे, पुलिस ने कैसे लिख लिया, वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 का अ से अ भाग पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने उक्त बयान पुलिस को नहीं देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसके सामने कोई सत्यापन नहीं हुआ था। बघोली सोसाईटी से सामान प्रतिदिन दिया जाकर हिसाब लिया जाता था, जिसकी जिम्मेदारी प्रबंधक मोतीराम घोरमारे की होती थी।

13— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी जोगलाल (अ.सा.8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। वह मोतीराम को भी जानता है। साक्षी को घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वह घटना के समय आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बघोली में संचालक था, जिसमें 9 दुकानें थी और प्रबंधक मोतीराम था। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था, पुलिस ने कैसे लिख लिया, वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 का अ से अ भाग पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने उक्त बयान पुलिस को नहीं देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसके सामने कोई सत्यापन नहीं हुआ था, कोई गबन की राशि भी नहीं बताई गई और न ही गबन के संबंध में कोई प्रस्ताव पास हुआ था।

14— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी परदेशी (अ.सा.9) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष जप्ती नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसके समक्ष प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही हुई थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसे जप्तीपत्रक पढ़कर सुनाया गया था, तब उसने अंगूठा लगाया था।

15— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी बरातू (अ.सा.10) एवं साक्षी संतलाल (अ.सा.11) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वे आरोपी को नहीं जानते।

उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षीगण के समक्ष कोई जप्ती नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने कहा है कि वे फरियादी मोतीराम घोरमारे को नहीं जानते। साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया कि उनके समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 की कार्यवाही हुई थी।

16— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी टी.आर. साहू (अ.सा.12) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह वर्ष 1995-96 में थाना परसवाड़ा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे अपराध क्रमांक-11/95 की विवेचना का कार्य दिया गया था। विवेचना के दौरान उसने मोतीराम घोरमारे से सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव के क्रेडिट मेमो बुक नंबर-3 के कुल 3, बुक नंबर-24, 12, 39, 35, 38, 34, 29 का क्रेडिट मेमो जप्त किया था, जो भिन्न-भिन्न शाखाओं के लिए कटा था। क्रेडिट मेमो कुल 16 थे, जो प्रदर्श पी-7 से प्रदर्श पी-19 तक हैं, जिसे साक्षी ने हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास भेजा था। उसने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसने मोतीराम घोरमारे से एक रोकड़ रजिस्टर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-20 अनुसार जप्त किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। बघोली समिति के अंतर्गत जो दुकानें थी, उनका हिसाब बघोली सोसाईटी में रखा जाता था। साक्षी ने जो रोकड़बही विवेचना के दौरान जप्त की थी, वह आर्टिकल ए-1 है, जिसमें लेम्पस बघोली में किये गए संव्यवहार दिनांक-02.04.1993 से दिनांक-31.03.1994 तक रोकड़ का संव्यवहारों का उल्लेख है। दिनांक-14.09.1995 को साक्षी ने मोतीराम के पेश किये जाने पर एक आवेदन पत्र जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-5 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी लालचंद ने स्वयं की हस्तलिपि में दिनांक-31.11.1991 को एक आवेदन समिति को दिया था, जो साक्षी ने जप्त किया है।

17— साक्षी टी.आर. साहू (अ.सा.12) ने दिनांक-06.10.95 को मोतीराम के पेश करने पर आरोपी लालचंद की हस्तलिपि में लिखित 8 आवेदनपत्र जप्त किये थे, जिन पर आरोपी लालचंद के हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-4 अनुसार जप्त 8 आवेदनपत्र में से 6 आवेदन पत्र हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास नमूने के हस्ताक्षर सहित भेजे गए थे। उक्त 6 आवेदनपत्र भेजे गए थे, वह समय-समय पर अवकाश आदि के लिए आरोपी ने समिति के अध्यक्ष को लिखे थे। उक्त आवेदनपत्र एन-1 से लेकर एन-6 तक हैं, जो कि विशेषज्ञ के पास भेजे गए थे। दिनांक-31.11.1991 को आरोपी द्वारा जो पत्र लिखा गया था, जिसे उसने प्रदर्श पी-5 के जप्तीपत्रक अनुसार जप्त किया था, वह विशेषज्ञ के पास नहीं भेजा गया। जप्तशुदा पत्र

केस डायरी में संलग्न होगा। अभियुक्त से 2 अतिरिक्त पत्र जो अभियुक्त से प्रदर्श पी-4 के द्वारा जप्त किया गया, वह भी अभियोगपत्र में संलग्न नहीं है, बल्कि केस डायरी में होगा। विवेचना के दौरान उसने साक्षी ढेकनलाल के बयान प्रदर्श पी-21 अनुसार, साक्षी विजय के बयान प्रदर्श पी-22 अनुसार लेखबद्ध किये हैं, जिनके अ से अ भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रबंधक मोतीराम से एक रासायनिक खाद्य रजिस्टर, एक स्कन्ध पंजी जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जो स्कंध पंजी जप्त किया गया था, वह आर्टिकल पी 2 है। पृष्ठ क्रमांक-82 में वर्ष 1995 के स्टॉक का विवरण है। साक्षी ने अभियुक्त की हस्तलिपि, विशेषज्ञ को भेजे जाने हेतु लिया था, जो एस-13, एस-14, एस-15, एस-16, एस-17, एस-18 जिनके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपने समक्ष एस-13 से एस-18 में वर्णित नमूना लिया था। उसने साक्षी बिज्जूलाल व श्रीराम के समक्ष अभियुक्त के नमूना की हस्तलिपि लिया था। उक्त नमूनों को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास भेजा गया था, जिसका ज्ञापन प्रदर्श पी-23 है। साक्षी ने संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी-24 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त अवकाश आदि का आवेदन उसे नहीं दिया था, बल्कि उसने ऑफिस से जप्त किया था। दिनांक-06.10.1998 को मोतीलाल के पेश करने पर जो आवेदन जप्त किये गए हैं, उसे उसके सामने अभियुक्त ने नहीं दिया था। 8 आवेदनपत्रों में से केवल 6 को ही भेजा गया था तथा पृथक से नमूने हस्ताक्षर भी लिये थे। एक आवेदन को विशेषज्ञ के पास क्यों नहीं भेजा गया, इसका वह कारण नहीं बता सकता। उसने अभियुक्त से कोई इश्यू रजिस्टर जप्त नहीं किया। साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्त के पास से किसी भी प्रकार के दस्तावेज जप्त नहीं किये गए हैं, इसलिए उक्त दस्तावेजों पर अभियुक्त की हस्तलिपि होने के संबंध में समुचित साक्ष्य होना आवश्यक है। यद्यपि विवेचना के संबंध में साक्षी की साक्ष्य अखण्डनीय है, जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है।

18— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी रूपलाल (अ.सा.13) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह परसवाड़ा की समिति के शाखा प्रबंधक मोतीराम घोरमारे को जानता है। उसके सामने पुलिस ने थाना परसवाड़ा में मोतीराम के पेश करने पर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 अनुसार एक स्टॉक रजिस्टर जप्त किया था। उसके समक्ष जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने आरोपी से किसी प्रकार की जप्ती नहीं हुई थी।

19— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी गणेशसिंह मरकाम (अ.सा.14) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह वर्ष 1995 में थाना परसवाड़ा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके सामने बी.एन. नेताम से स्टॉक पंजी, दैनिक विक्रय पंजी, एक फर्जी दैनिक रजिस्टर जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-21 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसे थाना प्रभारी ने रजिस्टर फर्जी होना बतलाया था, इसलिए वह फर्जी रजिस्टर जप्त करना बता रहा है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई।

20— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी गुलाबसिंह (अ.सा.16) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी लालचंद को जानता है। वह लेम्पस प्रबंधक मोतीराम घोरमारे को नहीं जानता। उसने प्रदर्श पी-4 पर थाने में हस्ताक्षर किये थे। साक्षी के समक्ष आरोपी लालचंद से 8 आवेदन जप्त हुए थे या नहीं उसे याद नहीं है। उक्त जप्ती टी.आर. साहू ने किया था। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने प्रदर्श पी-4 के दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था और न ही रजिस्टर व दस्तावेज केस बुक, मेमो उसके समक्ष पेश किये गए थे।

21— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी बंशीलाल जाटव (अ.सा.15) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-24.05.1995 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शाम 6:30 बजे थाने पर वी.एन. नेताम खाद्य निरीक्षक के पेश करने पर थाना प्रभारी पी.एल. प्रजापति द्वारा उसके व आरक्षक मरकाम के समक्ष एक स्टॉक पंजी वर्ष 1992-93-94, जिसमें एक से 199 तक पृष्ठ थे। एक दैनिक वितरण पंजी दिनांक-24.10.92 से वर्ष 1994 तक, जिसमें 1 से 199 तक पृष्ठ थे तथा एक स्टॉक पंजी, उचित मूल्य दुकान मोहगांव, जिसमें पृष्ठ संख्या एक से 199 तक थे। एक दैनिक पंजी बिक्री जिसमें 01 से 199 तक पृष्ठ थे, एक फर्जी दैनिक वित्तीय रजिस्टर जिसमें 56 पृष्ठ थे, जप्त किये गए। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-21 के ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जप्तशुदा रजिस्टर किस बात के थे, उसे जानकारी नहीं है। वह नहीं बता सकता कि प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई फर्जी वित्तीय पंजी वाला दस्तावेज पेश हुआ था या नहीं। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसके सामने कोई दस्तावेज जप्त नहीं हुए थे और उसने थानेदार के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

22— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पूरनलाल (अ.सा.17) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-24.05.1995 को थाना परसवाड़ा में थाना



प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उसने विवेचना के दौरान मौके पर जाकर प्रदर्श पी-25 का मौकानक्शा तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने बी.एन. नेताम द्वारा पेश करने पर एक स्टॉक पंजी रजिस्टर वर्ष 1992-93-94, जिसमें पृष्ठ क्रमांक-1 से 99 तक हैं। उचित मूल्य दुकान डोरा की, एक स्टॉक पंजी मोहगांव की, जिसमें वर्ष नहीं है, पृष्ठ क्रमांक-1 से 99 तक हैं। एक दैनिक वितरण पंजी दिनांक-24.10.1992 से वर्ष 1994 तक जिसमें पृष्ठ क्रमांक-1 से 99 तक हैं। एक दैनिक विक्रय पंजी मोहगांव की दिनांक-24.11.1992 से दिनांक-02.11.1994 तक एक फर्जी दैनिक विक्रय रजिस्टर जिसमें 156 पृष्ठ हैं, जप्त कर प्रदर्श पी-21 का जप्तीपत्रक तैयार किया, जिसके स से स भाग पर उसने हस्ताक्षर किया है। उसने साक्षी मोतीराम, मेघराज, चैनलाल, लीलाबाई, हीरामन, गोपाल, बसंत, जोगलाल, गुलजारसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। साक्षी के द्वारा शेष विवेचना नहीं की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसके द्वारा सेल्समेन लालचंद का नियुक्तिपत्र, सेल्समेनों की जवाबदारी व कर्तव्य की निर्देशिका एवं नियमावली तथा समिति द्वारा सेल्समेन को आवंटित की जाने वाली खाद्य सामग्री व वस्तु की आवंटन संबंधी पंजी जप्त नहीं की गई थी। उसने प्रकरण के आरोपी से सामग्री बिक्री रजिस्टर जप्त नहीं किया था। मोतीराम घोरमारे द्वारा रजिस्टर व दस्तावेज किससे प्राप्त किया, तत्संबंध में कोई दस्तावेज उसने प्राप्त नहीं किये और न ही जप्ती की। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसने प्रकरण के साक्षियों के कथन अपने मन से लेखबद्ध किये थे।

23— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी विश्वनाथ नेताम (अ.सा.18) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-24.05.1995 को खाद्य निरीक्षक के पद पर बैहर में पदस्थ था। पुलिस ने उससे रिकॉर्ड जप्त कर जप्तीपत्रक तैयार किया था। स्कंध रजिस्टर शाखा डोरा आर्टिकल ए-2 है। उचित मूल्य दुकान डोरा विक्रय पंजी आर्टिकल पी-3 है। स्टॉक पंजी उचित मूल्य दुकान, मोहगांव आर्टिकल पी-4 है। विक्रय पंजी, उचित मूल्य दुकान, मोहगांव आर्टिकल पी-5 है। एक फर्जी दैनिक विक्रय रजिस्टर जिसमें 196 पृष्ठ हैं, उचित मूल्य दुकान शाखा डोरा आर्टिकल पी-6 है, जिन्हें जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-21 बनाया गया, जिसके द से द भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। जप्ती आर्टिकल पी-6 निर्धारित रजिस्टर नहीं है। उसके द्वारा जांच करने पर स्टॉक में अंतर होने पर अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में प्रकरण पेश किया था। आरोपी के विरुद्ध अन्य अधिकारियों द्वारा जांच करने पर पुलिस थाने में रिपोर्ट किया गया। उक्त समस्त रजिस्टर उसे डोरा सोसाईटी से प्राप्त हुए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आर्टिकल पी-2 लगायत पी-6 बघोली समिति के प्रबंधक द्वारा उसे दिए गए थे। उसने आरोपी

लालचंद के विरुद्ध कोई जांच नहीं की थी और न ही जांच प्रतिवेदन बनाया था।

24— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पुरुषोत्तम डोडरे (अ.सा.19) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—18.02.1995 को थाना परसवाड़ा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मोतीलाल घोरमारे द्वारा एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जो प्रदर्श पी-27 है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-28 दर्ज किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि प्रदर्श पी-27 का आवेदन किस तारीख को लिखा गया, इसका उल्लेख नहीं है, परंतु थाने में दिनांक—18.02.1995 को पेश किया गया तथा उसी दिन रिपोर्ट लिखी गई।

25— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी जगताराम ठाकुर (अ.सा.20) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—18.10.1994 को विकासखण्ड परसवाड़ा में सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसने मोतीराम घोरमारे प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बघोली द्वारा सत्यापन हेतु दस्तावेज लाए जाने पर सत्यापन किया था। उसने प्रदर्श पी-29 के दस्तावेज सत्यापित किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त दस्तावेज आदिम जाति सेवा सहकारी समिति डोरा का था। उसने बघोली समिति के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान मोहगांव का भी सत्यापन किया, उक्त सत्यापन प्रदर्श पी-30 है, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। सत्यापन रिपोर्ट दिनांक—18.10.1994 है। उसके द्वारा दिनांक—04.02.1995 को ही उक्त सत्यापित रिपोर्ट को सत्यापित किया गया। उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी-29, 30 दिनांक—18.10.1994 को मोतीराम घोरमारे द्वारा तैयार किये गए थे। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों को दिनांक—04.02.1995 को सत्यापित किया था। उसने प्रदर्श पी-29, 30 का सत्यापन स्टॉक रजिस्टर के आधार पर किया था, जिस पर विक्रेता के नाम पर किसके हस्ताक्षर हैं, वह नहीं बता सकता, क्योंकि उसके सामने उसने हस्ताक्षर नहीं किया। आर्टिकल पी-2 के अनुसार पृष्ठ क्रमांक—12 में यूरिया 1.100 टन कम था। उक्त आर्टिकल पृष्ठ क्रमांक—176 के अनुसार डी.ए.पी. प्रति बोरी 50 किलोग्राम के हिसाब से 9 क्विंटल 75 किलो कम पाया गया था। उचित मूल्य दुकान शाखा डोरा की खाद्यन्न पंजी आर्टिकल पी-7 है। उक्त आर्टिकल में पृष्ठ क्रमांक—22 के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान शाखा डोरा से एक क्विंटल गेंहू कम है। उक्त आर्टिकल पी-7 के पृष्ठ क्रमांक—42 के अनुसार 26.47 क्विंटल चावल कम पाया था। उक्त आर्टिकल पी-7 के पृष्ठ क्रमांक—61 के अनुसार 1.11 क्विंटल शक्कर कम पाया था। उक्त आर्टिकल के पृष्ठ क्रमांक—82 के अनुसार मिटटी तेल 341 लीटर कम है, किन्तु सत्यापन रिपोर्ट में 300 लीटर दर्शित है। उक्त आर्टिकल के पृष्ठ क्रमांक—100 पर

367 नग बारदाना कम होना उल्लेखित है, जबकि उक्त प्रदर्श पी-29 की सत्यापन रिपोर्ट में 360 नग कम होना उल्लेखित है। उक्त आर्टिकल के पेज क्रमांक-120 के अनुसार 47 बोरी शक्कर कम पाया गया।

26— साक्षी जगताराम ठाकुर (अ.सा.20) का कथन है कि उक्त आर्टिकल पी-7 के पेज क्रमांक-140 के अनुसार 17 साबुन कम पाया। उक्त आर्टिकल के पृष्ठ क्रमांक-150 के अनुसार 8 मीटर लठठा कपड़ा कम पाया गया था। उक्त आर्टिकल के पृष्ठ क्रमांक-162 के अनुसार 10 नग धोती कम पाया था। उक्त आर्टिकल के पृष्ठ क्रमांक-160 के अनुसार 266 क्विंटल की कमी पाया था। इस तरह डोरा शाखा से 11011.50/-रूपये एवं 20,130.95/-रूपये की कमी पाया था। आर्टिकल पी-4 के पृष्ठ क्रमांक-8 के अनुसार 44 किलोग्राम शक्कर कम पाई गई थी। उक्त आर्टिकल के पेज क्रमांक-46 के अनुसार 19.50 क्विंटल गेहूं कम पाया था। उक्त आर्टिकल के पृष्ठ क्रमांक-65 के अनुसार 4.86 क्विंटल चावल कम पाया था। उक्त आर्टिकल के पृष्ठ क्रमांक-81 के अनुसार बारदाना 228 नग कम पाया था। उक्त आर्टिकल के पृष्ठ क्रमांक-100 के अनुसार शक्कर बारदाना 27 नग कम पाया था। उक्त आर्टिकल के पृष्ठ क्रमांक-30 के अनुसार मिटटी तेल 41 लीटर कम पाया गया। उसने मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन नहीं किया। उसने आरोपी के द्वारा उक्त सामान प्राप्त किया गया या नहीं, इस बात का अंकेक्षण नहीं किया। उसके सामने प्रबंधक घोरमारे द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्षी जानकारी के आधार पर बता रहा है कि उस समय विक्रेता आरोपी लालचंद था, किन्तु इस बाबद कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गए। प्रदर्श पी-29, 30 में विक्रेता, प्रबंधक, सहायक मुख्य पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर उसके समक्ष नहीं किये गए। उसने सत्यापन प्रबंधक मोतीराम घोरमारे द्वारा बताए अनुसार सत्यापन किया था। उसने यह जांच नहीं किया कि उक्त सामान में कमी सत्यापन दिनांक की है या उसके पूर्व की है। प्रदर्श पी-20 के अनुसार 11,783.90/-रूपये की कमी होना उल्लेखित है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसके द्वारा सत्यापित रजिस्टर प्रबंधक मोतीराम घोरमारे के पास थे। उसने उक्त दस्तावेजों में प्रबंधक मोतीराम घोरमारे के बताए अनुसार ही सत्यापन कर हस्ताक्षर किये हैं।

27— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी डेकलचंद (अ.सा.21) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किये हैं कि वह वर्ष 1984 से उसके न्यायालयीन कथन देने तक विपणन सहकारी सोसाईटी मोहगांव में लिपिक के पद पर पदस्थ था। वह माह अक्टूबर वर्ष 1994 से खाद्यान्न सामग्री प्रदान करता था एवं उक्त सामग्री लिंक समिति को देता था। लिंक समिति का प्रमुख प्रबंधक होता है। खाद्यान्न अधिकृत विक्रेता को दिया जाता है। वह सामान सभी लिंक संस्थाओं को उनकी दुकान में जाकर चावल, गेहूँ, शक्कर

देता था। मिटटी तेल, धोती, साबुन वह नहीं देता था। वह आरोपी को जानता है, जो डोरा सहकारी संस्था का विक्रेता था। वह सामान देने की पावती सहकारी सोसाईटी के विक्रेता को देता था। आरोपी द्वारा की गई गड़बड़ी की उसे जानकारी नहीं है। साक्षी जब सामान देता था, तब आरोपी एक ही सोसाईटी का विक्रेता था। प्रदर्श पी-19 के क्रेडिट मेमो में गेहूँ 10 क्विंटल क्रेता डोरा सोसाईटी को दिया था। उस समय विक्रेता कौन था, उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी-19 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का कहना है कि आरोपी के हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रदर्श पी-18 के क्रेडिट मेमो में चावल 98 क्विंटल क्रेता डोरा सोसाईटी को दिया था, जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी-17 के क्रेडिट मेमो में चावल 100 क्विंटल क्रेता डोरा सोसाईटी को दिया था, जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी-16 के क्रेडिट मेमो में 5 क्विंटल शक्कर क्रेता डोरा सोसाईटी को दिया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

28— साक्षी ढेकलचंद (अ.सा.21) का कथन है कि प्रदर्श पी-15 के क्रेडिट मेमो में चावल 70 क्विंटल, शक्कर 18 क्विंटल क्रेता डोरा सोसाईटी को दिया था, जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी-14 के मेमो क्रेडिट में चावल 70 क्विंटल, गेहूँ 30 क्विंटल क्रेता डोरा सोसाईटी को दिया, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-12 के क्रेडिट मेमो में चावल 50 क्विंटल क्रेता डोरा सोसाईटी को दिया, जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी-11 के क्रेडिट मेमो में गेहूँ 25 क्विंटल, चावल 25 क्विंटल क्रेता डोरा सोसाईटी को दिया, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-10 के क्रेडिट मेमो में चावल 30 क्विंटल, शक्कर 25 क्विंटल क्रेता डोरा सोसाईटी को दिया, जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी-9 के क्रेडिट मेमो में चावल 24.80 क्विंटल क्रेता डोरा सोसाईटी को दिया था, जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी-7 के क्रेडिट मेमो में चावल 40 क्विंटल, गेहूँ 20 क्विंटल क्रेता डोरा सोसाईटी को दिया था, जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। जिस समय उसने सामान दिया था, उस समय क्रेता लालचंद था। उक्त लिखित दस्तावेज के अ से अ भाग पर आरोपी लालचंद के हस्ताक्षर हैं। उसने सभी सामान मौके पर तौला था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को देना व्यक्त किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उक्त प्रदर्श पी-7, 9, 10, 11, 12, 14 लगायत 19 के दस्तावेज पर किस क्रेता के हस्ताक्षर हैं, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने मुख्यपरीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त क्रेडिट मेमो पर आरोपी के हस्ताक्षर होने के संबंध में विरोधाभासी कथन किये हैं, जिससे हस्ताक्षर के संबंध में साक्षी के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते।



29— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी मूलचंद (अ.सा.23) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी लालचंद को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, किन्तु प्रदर्श पी-6 के ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि उसके समक्ष मोतीराम से क्रेडिट कार्ड की जप्ती हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि प्रदर्श पी-6 की जप्ती कार्यवाही में कहां, कैसे और किस बाबत हस्ताक्षर करवाए गए थे, उसे जानकारी नहीं है।

30— अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का सेल्समेन होकर लोकसेवक होते हुए उसे न्यस्त संपत्ति के विषय में न्यास भंग किया और संपत्ति के रूपये जो उसे बघोली समिति में प्रदत्त करने थे, उन्हें बेईमानीपूर्वक हेराफेरी कर प्रवंचित किया। प्रकरण में अभियुक्त की नियुक्ति के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। विश्वनाथ (अ.सा.18) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में कथन किया है कि विक्रेता लालचंद सोसाईटी का दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी था। तथापि अभियुक्त द्वारा संपूर्ण प्रकरण में किसी भी साक्षी की साक्ष्य को उसका समिति के विक्रेता होने के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गई है और न ही उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घटना के समय वह समिति का विक्रेता नहीं था। तथापि धारा-409 भा.द.सं. के अपराध हेतु अभियुक्त को लोकसेवक होना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा पूर्व में इस संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सहकारी समिति का अध्यक्ष अथवा सेवक, लोकसेवक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। उक्त के संबंध में न्यायदृष्टांत शणमुगम विरुद्ध राज्य 1997 सी.आर.एल.जे. 2042 (मद्रास), अरविन्द चंदिल विरुद्ध म.प्र. राज्य व अन्य 2015 सी.आर.एल.आर. (एम.पी-585) अवलोकनीय है। अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-406 के आरोप में कार्यवाही की जा सकती है, जिस हेतु सर्वप्रथम अपराध के आवश्यक घटक जैसे कि अभियुक्त को संपत्ति को न्यस्त किया जाना तथा अभियुक्त द्वारा उक्त संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग करना अथवा अपने स्वयं प्रयोग में संपरिवर्तित कर लेना प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के कथित संपत्ति न्यस्त किये जाने के संबंध में कोई उचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में आदिम जाति सहकारी सेवा समिति बघोली के प्रबंधक तथा परिवादी मोतीराम घोरमारे के कथन नहीं कराए गए हैं। अब यदि परिवादी द्वारा की गई लिखित शिकायत प्रदर्श पी-27 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-28 का अवलोकन किया जावे तो उक्त शिकायत में यह लेख है कि अभियुक्त द्वारा लीड समिति मोहगांव से खाद्यान्न शक्कर एवं मिट्टी तेल डिलर से तथा म.प्र. विपणन राज्य सहकारी समिति से रसायनिक खाद अपने

चार्ज में प्राप्त कर वितरण कार्य का संचालन किया जाता था। आरोपी विक्रेता द्वारा डोरा एवं मोहगांव की दुकान का वितरण कार्य कर बिक्री की राशि साप्ताहिक लाकर मुख्यालय बघोली में जमा की जाती थी।

31— डेकलचंद (अ.सा.21) द्वारा अभियुक्त को अकेले डोरा सहकारी संस्था हेतु क्रेडिट मेमो प्रदर्श पी-7, प्रदर्श पी-9, प्रदर्श पी-10, प्रदर्श पी-11, प्रदर्श पी-12, प्रदर्श पी-14, प्रदर्श पी-15, प्रदर्श पी-16, प्रदर्श पी-17, प्रदर्श पी-18 तथा प्रदर्श पी-19 अनुसार सामग्री प्रदत्त करने के कथन किये हैं, जबकि अभियुक्त पर डोरा तथा मोहगांव की दुकानों के संबंध में सामग्री की अफरा-तफरी कर राशि का गबन के आरोप हैं। उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में मिट्टी तेल, धोती, साबुन नहीं देने के कथन किये हैं। जबकि अभियुक्त पर उक्त सामग्री के संबंध में भी गड़बड़ी के आरोप हैं। विश्वनाथ नेताम (अ.सा. 18) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दुकान में आने वाली सामग्री प्रबंधक के नाम पर ही आती थी। तथाकथित सामग्री के परमिट प्रबंधक के नाम से ही जारी किये जाते थे। प्रबंधक की जवाबदारी है कि वह सभी दुकानों की सामग्री जारी करे और उसी दिन विक्रय राशि को जमा कर केस बुक में इंद्राज करे। प्रबंधक द्वारा कोई भी जावक पंजी या समिति की केस बुक जो अभियुक्त की दुकान के संबंध में हो जप्त नहीं किये गये। उसने समिति प्रबंधक से इस बाबत कोई जानकारी नहीं पूछी थी। प्रबंधक द्वारा विक्रेता को कौन सा सामान कब दिया गया था और उसने उसे विक्रय कर राशि पटाया अथवा नहीं। प्रबंधक द्वारा अपने दायित्व के निर्वाहन के अनुसार आवक-जावक द्वारा जमा के संबंध में उसे अवगत नहीं कराया गया।

32— साक्षी विश्वनाथ नेताम (अ.सा.18) के अनुसार स्टॉक तथा विक्रय पंजी आर्टिकल पी-2 लगायत आर्टिकल पी-6 बघोली समिति के प्रबंधक द्वारा उसे दी गई थी, उसने प्रबंधक से जप्ती नहीं की थी। जबकि जगताराम ठाकुर (अ.सा.20) के अनुसार उसने प्रदर्श पी-29 एवं प्रदर्श पी-30 की सत्यापन रिपोर्ट परिवादी मोतीराम घोरमारे के बताए अनुसार स्वयं तैयार कर हस्ताक्षर किये थे। उसने मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन दुकान में नहीं किया और न ही आरोपी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के संबंध में कोई अंकेक्षण किया। साक्षी के अनुसार उसे मौके पर जाकर स्टॉक का अंकेक्षण करने व रिकार्डों का अवलोकन करने में कोई रुकावट नहीं थी, परंतु उसने प्रबंधक मोतीराम घोरमारे के बताए अनुसार सत्यापन किया। उक्त सत्यापन सही या गलत वह नहीं बता सकता। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण ने स्वयं आर्टिकल प्र.पी.07 के पेज 82 में मिट्टी तेल के 341 लीटर कम होने के बावजूद सत्यापन रिपोर्ट में 300 लीटर होना तथा पेज क्रमांक 100 में बारदान 367 नग कम होने के बावजूद प्र.पी.29 की सत्यापन रिपोर्ट में 360 नग कम होने का लेख होने के

कथन किये हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि रजिस्टर में ओवर रायटिंग है जो किसकी है वह नहीं बता सकता। रजिस्टर खुली अवस्था में थे जो उसे प्रबंधक मोतीराम घोरमारे द्वारा दिये गये थे।

33— प्रकरण में अभियुक्त को न्यस्त की गयी सामग्री की मात्रा के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। लीड सोसायटी बघोली के आवक-जावक से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रथमतः लीड सोसायटी बघोली से दुकानों को दी गयी सामग्री के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने थे तथा यह दर्शित किया जाना था कि उक्त दस्तावेजों से मिलान कर डोरा तथा मोहगांव की दुकानों में कथित गड़बड़ी पाई गई, क्योंकि प्रकरण में कथित सत्यापनकर्ता प्रबंधक मोतीराम घोरमारे के कथन ही नहीं कराए गए हैं। लिखित शिकायत प्रदर्श पी-27 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-28 में यह लेख है कि दिनांक-27.09.1994 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बालाघाट शाखा परसवाड़ा के सहायक मुख्य पर्यवेक्षक एस.जी. वैद्य द्वारा उचित मूल्य की दुकान डोरा एवं मोहगांव का सत्यापन किया गया था, जिसमें संलग्न सूची के अनुसार सामग्री में कमी बताई गई थी। आगे यह लेख है कि अभियुक्त ने उसके द्वारा की गई गड़बड़ी की स्वीकृति दी थी। प्रकरण में न तो पर्यवेक्षक एस.जी. वैद्य द्वारा की गई कोई सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत है और न ही आरोपी द्वारा की गई स्वीकृति के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध हैं। उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को की गई संपत्ति की न्यस्त संदेहास्पद है, क्योंकि प्रकरण में अभियुक्त को प्राप्त उपरोक्त सामग्री का वास्तविक ब्यौरा प्रस्तुत नहीं है। प्रकरण में परिवादी की साक्ष्य नहीं कराई गई है, जिसके द्वारा अपनी शिकायत में दिनांक-18.10.94 डोरा एवं मोहगांव की दुकानों के स्टॉक का सत्यापन करने के कथन किये हैं। प्रकरण में अभियुक्त को संपत्ति न्यस्त किया जाना दर्शित नहीं है और न ही अभियुक्त द्वारा संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना दर्शित है। मात्र लेखा संबंधी गड़बड़ियों के कारण अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत नेत्रानंद साहू विरुद्ध ओड़िसा राज्य 1993 सी.आर.एल.जे. 1272 तथा कर्नाटक राज्य विरुद्ध सैय्यद मेहबूब 2000 सी.आर.एल.जे. 1184 अवलोकनीय है। फलतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 एवं 420 के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

### विचारणीय बिन्दु 3 का निष्कर्ष:-

34— अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने फर्जी बिक्री रजिस्टर की रचना शासकीय संपत्ति का गबन करने के आशय से की। उक्त कथित रजिस्टर के संबंध में प्रकरण में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित शिकायत प्रदर्श पी-27 तथा प्रथम

सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-28 में यह उल्लेख है कि अभियुक्त द्वारा पर्यवेक्षक एस.जी. वैद्य को यह लिखकर दिया गया था कि उसके द्वारा दिनांक-2709.94/-रुपये को 18 कार्ड अपने पास रखकर उन 18 कार्डों को 3.20 क्विंटल चावल रुपये 1638.40/-रुपये की फर्जी बिक्री बताकर फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए तथा फर्जी बिक्री दर्शाने के कारण स्टॉक दुकान में सत्यापन हेतु नहीं दिया जा सका। विश्वनाथ अ.सा.18 का कथन है कि पुलिस ने उससे एक फर्जी दैनिक विक्रय रजिस्टर उचित मूल्य दुकान शाखा डोरा आर्टिकल पी-6 को जप्त किया गया था। उक्त रजिस्टर निर्धारित रजिस्टर नहीं है। उसके द्वारा जांच करने पर स्टॉक में अंतर होने पर अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में साक्षी का कथन है कि उक्त रजिस्टर उसे प्रबंधक मोतीराम घोरमारे द्वारा दिए गए थे। आर्टिकल पी-6 का रजिस्टर किसके द्वारा संधारित किया गया उसे जानकारी नहीं है। उक्त रजिस्टर पर फर्जी रजिस्टर उसके द्वारा नहीं लेख किया गया है। उक्त रजिस्टर की कूट रचना के संबंध में प्रकरण में कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है। प्रथमतः उक्त रजिस्टर आरोपी से जप्त नहीं किये गए हैं। तत्पश्चात् प्रकरण में परिवादी मोतीराम घोरमारे के कथन नहीं कराए गए हैं, जिसके संबंध में यह तर्क दिया गया है कि प्रबंधक मोतीराम घोरमारे द्वारा उक्त रजिस्टर आरोपी से जप्त किये गए थे। प्रकरण में अभियुक्त की हस्तलिपि के संबंध में कोई विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं है, जबकि विवेचक साक्षी टी.आर. साहू (अ.सा.12) द्वारा यह कथन किये गए हैं कि उसके द्वारा एन-1 लगायत एन-6 के आवेदन, एस-13 लगायत एस-18 के दस्तावेज तथा अभियुक्त की नमूना हस्तलिपि, हस्तलिपि विशेषज्ञ को भेजी गई थी।

35— प्रकरण में अभियोजन द्वारा हस्तलिपि विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा लिखित शिकायत प्रदर्श पी-27 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-28 में उल्लेखित पर्यवेक्षक एस.जी. वैद्य द्वारा सत्यापित रिपोर्ट तथा पर्यवेक्षक को आरोपी द्वारा की गई लिखित स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई है। कथित फर्जी रजिस्टर प्रदर्श पी-6 पर अभियुक्त की हस्तलिपि ही दर्शाई नहीं है, साथ ही संपूर्ण प्रकरण में कहीं पर भी यह दर्शाया नहीं गया है कि उक्त रजिस्टर को किस आधार पर फर्जी रजिस्टर कहा गया। उक्त रजिस्टर की जप्ती भी अभियुक्त से नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त रजिस्टर प्रदर्श पी-6 में मूल्यवान प्रतिभूति को अपने लाभ हेतु संपरिवर्तित करने के लिए अभियुक्त द्वारा इद्राज किया गया। फलतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467 के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

36— प्रकरण में आरोपी दिनांक-15.07.1995 से दिनांक-09.08.1995 तक के न्यायिक



अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

37— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

38— प्रकरण में जप्तशुद्ध संपत्ति स्टॉक रजिस्टर वर्ष 1992, 93, 94, दैनिक वितरण पंजी दिनांक-24.10.1992, एक स्टॉक पंजी उचित मूल्य दुकान मोहगांव का, एक दैनिक बिक्री पंजी उचित मूल्य दुकान मोहगांव, विपणन समिति मर्यादित मोहगांव प.क्र. 8 की क्रेडिट मेमो बुक क्रमांक-3, 3, 3, 24, 24, 12, 39, 39, 39, 35, 38, 34, 03, 34, 29, 03, एक रोकड़ बही रजिस्टर दिनांक-02.04.1993 से दिनांक-31.03.95, रोकड़बही रजिस्टर, एक रासायनिक खाद का रजिस्टर संबंधित विभाग को विधिवत सौंपें जावें तथा एक फर्जी दैनिक रजिस्टर मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया  
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)